

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक: एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/वि.पं./2013/1/47779/2016

दिनांक: 19-03-2016

परिपत्र

आमजन की सुविधा हेतु राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण के लिए राज्य में वेबपोर्टल 'पहचान' पर ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया दिनांक 21.03.2016 से प्रारम्भ की जा रही है। विवाह पंजीयन हेतु ई-मित्र केन्द्रों के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। ई-मित्र के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं विवाह का पंजीयन कर प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया ई-मित्र केन्द्र एवं रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) द्वारा निम्नानुसार अपनाई जावेगी:-

ई-मित्र केन्द्र द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

1. आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सभी कॉलम में चाही गई सूचनाएं अनिवार्य रूप से भरी जावेगी तथा आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदक को निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे:-

(अ) पहचान एवं पते के दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित प्रति (केवल आवेदक की) संलग्न होनी चाहिए। पहचान दस्तावेज के लिए निम्न में से कोई एक दस्तावेज हो सकता है:- मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, पेन कार्ड, भामाशाह कार्ड इत्यादि जिनसे फोटो/पते की पहचान हो सके।

(ब) वर एवं वधू की संयुक्त फोटो ("5x3"साईज) अथवा वर व वधू की फोटो कैमरे से खींचकर।

2. ई-मित्र संचालक द्वारा आवेदक से आवेदन प्रपत्र में चाही गई सम्पूर्ण सूचनाएं अनिवार्य रूप से पूर्ति कराई जावेगी एवं वांछित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने की जांच की जावेगी।
3. ई-मित्र संचालक को 'पहचान' वेबपोर्टल के माध्यम से 'ई-मित्र कियोस्क आवेदन प्रपत्र भरें' विकल्प पर क्लिक करना होगा, तत्पश्चात् विवाह पंजीयन विकल्प पर क्लिक करना होगा। 'पहचान' पोर्टल पर "आवेदन प्रपत्र" खुलने पर ई-मित्र संचालक द्वारा आवेदक द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई सम्पूर्ण सूचनाओं की ध्यानपूर्वक सही-सही प्रविष्टि की जावेगी। ध्यान रहे ई-मित्र संचालक द्वारा सूचना प्रविष्टि करने में की गई गलती के लिए उसे जिम्मेदार ठहराते हुए उसके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। इससे बचने के लिए प्रविष्टि की गई सूचनाएं कम्प्यूटर स्क्रीन पर आवेदक को पढ़वा दी जावे अथवा प्रिन्ट लेकर आवेदक के हस्ताक्षर करा लिये जावें।

3/1/16

4. ई-मित्र संचालक द्वारा पहचान दस्तावेज एवं वर-वधू की संयुक्त फोटो को पृथक-पृथक स्कैन कर 50 केबी से 100 केबी तक की जेपीईजी फाईल (JPEG file) में अपलोड किया जावेगा।
5. ई-मित्र के माध्यम से विवाह प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने पर ई-मित्र संचालक द्वारा आवेदक से निम्नानुसार सेवा शुल्क एवं पंजीयन शुल्क लेकर रसीद दी जावेगी।
 - (अ) आवेदन प्रपत्र को ऑनलाईन भरने एवं संलग्न पहचान/पते के दस्तावेज का राजकीय डाटाबेस से सत्यापन किये जाने की स्थिति में 15/- रुपये।
 - (ब) आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न पहचान/पते के दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड किये जाने की स्थिति में 20/- रुपये।
 - (स) विवाह सम्पन्न होने की तिथि के 30 दिन की अवधि में 10/- रुपये एवं 30 दिन पश्चात् 100/- रुपये पंजीयन शुल्क देय होगा।
6. सम्पूर्ण कार्यवाही के उपरान्त ई-मित्र केन्द्र द्वारा आवेदन प्रपत्र विवाह सम्पन्न होने वाले क्षेत्र के रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) को अग्रेषित किया जावेगा। अथवा ई-मित्र केन्द्र, वर-वधू विवाह पश्चात् जिस क्षेत्र में विवाह पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र दिये जाने के तत्काल कम से कम 30 दिन पूर्व से उस क्षेत्र में निवास कर रहे हों, तो उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) को अग्रेषित करेगा।

रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया


1. पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन को ई-मित्र संचालक द्वारा रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) को अग्रेषित करने पर रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) द्वारा ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र को अपने लॉगिन से निर्धारित प्रक्रिया द्वारा एवं दस्तावेजों की जांच पश्चात् पंजीकृत करेगा।
2. आवेदन पत्र की जांच उपरान्त सही पाये जाने पर अथवा आवेदन पत्र में कमी होने पर कमियों का अंकन करते हुए, रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) द्वारा तिथि निर्धारित कर, जो आवेदन पत्र प्राप्त होने के सात दिवस से अधिक नहीं होगी, आवेदनकर्ता (वर एवं वधू) को रजिस्ट्रार कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित होने की सूचना मोबाईल पर SMS के द्वारा दी जावेगी। वर-वधू को निर्धारित दिनांक को सम्बन्धित रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होकर निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-

- ई-मित्र पर आवेदन किए गए प्रपत्र का प्रिन्टआउट एवं पावती रसीद
- वर एवं वधू प्रत्येक की एक-एक पासपोर्ट साईज फोटो

Zm

- वर व वधू की संयुक्त फोटो (5"X 3" साईज)
 - वर व वधू की पहचान व पता का दस्तावेज
 - वर व वधू की जन्म तिथि प्रमाण पत्र
 - वर व वधू का अलग-अलग शपथ पत्र
 - विवाह के साक्षी दो गवाहों के शपथ पत्र तथा पहचान एवं पते के दस्तावेज (एक वर पक्ष व एक वधू पक्ष हेतु)
 - शादी का कार्ड (वर व वधू दोनो पक्ष का) यदि उपलब्ध हो
3. रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) द्वारा वर एवं वधू दोनो के उपस्थित होने एवं मूल दस्तावेजों की पूर्ण जांच कर सन्तुष्टि के पश्चात् विवाह का पंजीयन किया जावेगा एवं निर्धारित प्रपत्र में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।
 4. यदि आवेदन पत्र में कोई कमी है तो इसकी उचित कारण सहित आपत्ति दर्ज करेगा एवं इसकी सूचना आवेदक को मोबाइल नम्बर पर SMS द्वारा दी जावेगी।
 5. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में की गई आपत्ति का SMS प्राप्त होने पर सम्बन्धित ई-मित्र पर आवेदन पत्र में पाई गई आपत्ति/कमी की पूर्ति की जावेगी। इसके पश्चात् उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया द्वारा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

उक्त आदेशों की पालना तुरन्त प्रभाव से की जावें।




(ओम प्रकाश बैरवा)

महारजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ13/1/3/वीएस/डीईएस/वि.पं./2013/I/47779/2016/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक: 19-03-2016

1. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
3. जिला विवाह पंजीयन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, जिला.....
4. उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप-13) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, नगर निगम, जिला.....
6. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लिमिटेड, राजस्थान जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि राज्य के समस्त स्थानीय सेवा प्रदाता (ई-मित्र) को परिपत्र की पालना हेतु निर्देशित करावें।
8. संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6-बी झालाना डूंगरी, जयपुर।
9. सिस्टम एनॉलिस्ट एवं संयुक्त निदेशक, सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. जिला विवाह पंजीयन नोडल अधिकारी, उप निदेशक/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला.....को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र सम्बन्धित विवाह पंजीयन अधिकारी को प्रेषित कर पालना सुनिश्चित करावें।


उप निदेशक (जीवनांक)